

स्वतंत्र प्रभात



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

@swatantraprabhatmedia	@swatantramedia	RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com)	@SwatantraPrabhatonline	news@swatantraprabhat.com
सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून			सीतापुर, शुक्रवार, 13 मार्च 2026	
रसोई गैस की किल्लत, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें..03			वर्ष 14, अंक 320, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया	
www.swatantraprabhat.com			गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित	
			छात्रवृत्ति और टैबलेट की मांग को लेकर बलिया में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी..04	

DU में प्रोटेस्ट पर बैन को लेकर हाई कोर्ट सख्त, पूछा-पूरी तरह रोक कैसे लगा सकते हैं?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) और दिल्ली पुलिस के उन ऑर्डर पर सवाल उठाए, जिनमें यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था. चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और जुलूस पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर कानून-व्यवस्था का कोई उल्लंघन होता है, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं हो सकता. चीफ जस्टिस उपाध्याय ने पूछा कि 'हमारी साफ राय है कि पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता. ऑर्डर देखें. पब्लिक मीटिंग, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, विरोध, धरना या किसी भी तरह का आंदोलन. तो, आप (DU) अपनी सख्ती में, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, रैली और जुलूस को भी अपने दायरे में ले लेंगे. आप इसे कहां तक सही ठहरा सकते हैं? आपको यह ऑर्डर पास करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने (धारा) 144 (CrPc) का उल्लंघन किया था, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था. आपने यह ऑर्डर क्यों जारी किया? कृपया मुझे बताएं कि आपको यह ऑर्डर जारी करने की क्या



जरूरत थी?' कोर्ट ने पुलिस के प्रोटेस्ट पर रोक लगाने का ऑर्डर पास करने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPc) के सेक्शन 144 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने DU से एक हफ्ते में मांगा जवाब हालांकि, कोर्ट ने DU और पुलिस के निर्देशों पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया. इसके बजाय, कोर्ट ने पुलिस और छ को एक हफ्ते के अंदर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि वह मामले पर फैसला करेगी. कोर्ट ने छात्रों के बर्ताव पर भी सवाल उठाया, यह बताते हुए कि वह इस मामले पर सिर्फ इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि यह आर्टिकल 19 (बोलने और बोलने की आजादी) के अधिकारों से जुड़ा है. इस आजादी का गलत इस्तेमाल

नहीं किया जा सकता. सिर्फ आर्टिकल 19 की वजह से हम इस मामले में दखल दे रहे हैं. आपको (स्टूडेंट्स) ठीक से पेश आना चाहिए. ऐसी हालत क्यों हुई? प्रॉक्टर (DU) के जिन्होंने रोक के आदेश जारी किए) भी एक एकेडमिक हैं. वह ऐसा आदेश क्यों देंगे? कोई भी एकेडमिशियन ऐसा आदेश नहीं देना चाहता. लेकिन जिस तरह से आप पेश आ रहे हैं. कोर्ट ने कहा, 'देखिए (दिल्ली) यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन) चुनावों के दौरान क्या हुआ था। '25 मार्च को होगी अगली सुनवाई आखिरकार, बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश DU के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट उद्य रहा है क्योंकि यह आर्टिकल 19 (बोलने और बोलने की आजादी) के अधिकारों से जुड़ा है. इस आजादी का गलत इस्तेमाल

दी है, जिसमें यूनिवर्सिटी कैम्पस और उससे जुड़े कॉलेजों में पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के शांतिपूर्ण जमावड़े पर रोक लगाई गई है. यह फैसला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) की इक्विटी गार्डलाइंस को लेकर हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों के बाद लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन पर लगाई थी रोक इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज की तरफ से जारी आना चाहिए. ऐसी हालत क्यों हुई? प्रॉक्टर (DU) के जिन्होंने रोक के आदेश जारी किए) भी एक एकेडमिक हैं. वह ऐसा आदेश क्यों देंगे? कोई भी एकेडमिशियन ऐसा आदेश नहीं देना चाहता. लेकिन जिस तरह से आप पेश आ रहे हैं. कोर्ट ने कहा, 'देखिए (दिल्ली) यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन) चुनावों के दौरान क्या हुआ था। '25 मार्च को होगी अगली सुनवाई आखिरकार, बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश DU के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट उद्य रहा है क्योंकि यह आर्टिकल 19 (बोलने और बोलने की आजादी) के अधिकारों से जुड़ा है. इस आजादी का गलत इस्तेमाल

संक्षिप्त खबरें

‘प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने जा रहा, मुझे ढूंढना मत’... इंदौर में घट से मांगा 16 साल का छात्र

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के प्रति भक्तों की दीवानगी चरम पर है. उनकी एक झलक पाने के लिए प्रतिदिन देर रात हजारों लोग सड़क पर डेरा डालते हैं. गंभीर किडनी की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उनका सादगी भरा जीवन, रात 2:20 बजे की पदयात्रा और राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम ही लोगों को आकर्षित करता है. यही वजह है कि भक्त उनके आश्रम 'केली कुंज' पर भारी संख्या में पहुंचते हैं. कई भक्त तो ऐसे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचते हैं, जो उनके प्रति समर्पण को दर्शाता है।

प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने निकला छात्र

हालांकि कई भक्त इसी भक्ती में नादानी कर बैठते हैं, जिससे उनके परिवार वाले काफी परेशान हो जाते हैं. मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है. खजराना थाना क्षेत्र का रहने वाला एक 16 वर्षीय छात्र प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने के लिए वृंदावन के लिए निकल पड़ा, जो भी घर में बिना किसी को बताए. घरवालों को इसकी जानकारी तब हुई, जो उन्होंने छात्र का लिखा लेटर पढ़ा. लेटर में छात्र ने लिखा था कि, मैं प्रेमानंद जी महाराज का शिष्य बनने जा रहा हूँ. मुझे तलाश मत करना। थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

छात्र का लेटर पढ़ घरवाले परेशान हो गए. उन्होंने आनन-फानन में इसकी जानकारी खजराना थाना पुलिस को दी. पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी छात्र घर से क्रिकेट खेलने की बात कहकर निकला था, लेकिन घर पर नहीं लौटा. जब काफी देर तक नहीं लौटा तो घरवालों को चिंता हुई. इस पर उन्होंने छात्र को आसपास तलाशना शुरू किया, लेकिन छात्र नहीं मिला. परिजनों ने खजराना थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

मां के पास रखे 1000 रुपए लेकर गया

पुलिस ने बताया कि छात्र के घर पर एक लेटर भी मिला, जिसमें उसने प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने का जिज्ञा किया है. वह अपनी मां के पास रखे हुए 1000 भी लेकर गया है और कहा है कि मेरे दोस्त से ले लेना. वह आपको दे देगा. बच्चा काफी छोटा है, जिस कारण परिवार काफी चिंतित है. पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है. एक टीम वृंदावन भी गई है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी बच्चे की तस्वीर शेयर की गई है, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द तलाशा जा सके।

घर में नमाज अदा करने से रोकने के मामले में बरेली के डीएम-एसएसपी इलाहाबाद HC में तलब, 23 मार्च को हाजिर होने का आदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने घर में नमाज अदा करने से रोके जाने के मामले में बरेली के जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्या को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वे उपस्थित नहीं होते तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

हाई कोर्ट का हसीन खान की याचिका पर आदेश इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मकान मालिक को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने तारिक खान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। **फैसला आने तक 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहेंगे गार्ड**

कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक हसीन खान की सुरक्षा के लिए दो हथियारबंद गार्ड तैनात किए जाएं जो इस मामले में फैसला आने तक 24 घंटे हर समय तैनात रहेंगे।

इंद्रपुरी सड़क विवाद में आप-भाजपा आमने-सामने, विधायक उमंग बजाज पर हमले का आरोप; भाजपा ने कहा- आप पार्षद ने की मारपीट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिमी दिल्ली। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी में सड़क निर्माण के दौरान शुरू हुआ विवाद अब थाने की चौखट तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस पूरे प्रकरण निकला था, लेकिन घर पर नहीं लौटा. जब काफी देर तक नहीं लौटा तो घरवालों को चिंता हुई. इस पर उन्होंने छात्र को आसपास तलाशना शुरू किया, लेकिन छात्र नहीं मिला. परिजनों ने खजराना थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

आप का आरोप, विधायक की मौजूदगी में हुआ हमला

राज्यसभा सांसद और आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमंग बजाज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुधवार रात इंद्रपुरी वार्ड में पार्षद ज्योति गौतम के क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। पार्षद ज्योति गौतम और शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष संजय बैरवा जब वहां निरीक्षण करने पहुंचे, तो विधायक उमंग बजाज ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर हमला करवाया। विधायक की मौजूदगी में उनके गुंडों ने संजय बैरवा की पिटाई की और महिला पार्षद के साथ गाली-गलौज व अभद्रता की। संजय सिंह ने नाराजगी जताई कि



हसीन खान के शरीर अथवा उनकी संपत्ति के खिलाफ यदि कोई हिंसा की जाती है तो यह प्रथम दृष्टया राज्य की शह पर मानी जाएगी।

पिछली सुनवाई पर अवमानना नोटिस जारी की थी

कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर बरेली के डीएम और एसएसपी को पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया था। बरेली निवासी तारिक खान ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 16 जनवरी को स्थानीय अधिकारियों ने निजी आवास के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट किया गया है

कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं है।

घर के मालिक का दर्ज हुआ बयान

बुधवार को डीएम व एसएसपी की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई। साथ ही कोर्ट में घर के मालिक हसीन खान का बयान दर्ज किया गया। मकान मालिक ने कोर्ट को बताया कि वह अपने घर में परिवार के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तभी पुलिस उठ ले गई। आरिफ प्रधान और मुख्तयार ने धमकाया कि यदि उसने कोर्ट में सच बोला तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। उसे जबरन गांव के बाहर ले जाकर पुलिस की मौजूदगी में सादे कागजों पर अंगूठा लगवाया गया।

कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मटियाला के पूर्व विधायक सोमेश शौकीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब पूर्व विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। सोमेश शौकीन से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हैरानी की बात है कि पुलिस आयुक्त उन्हें मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। सांसद ने कहा दिल्ली में गिरती कानून व्यवस्था का मामला वे राज्य सभा में उठाएंगे।

विकास कार्यों का श्रेय लेना चाहती हैं आप पार्षद

दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2024 में राजेंद्र नगर के तत्कालीन आप विधायक ने दिल्ली जल बोर्ड के फंड से कुछ विकास कार्य शुरू करवाने के लिए इंद्रपुरी वार्ड में सड़क की खोदाई तो करा पड़ी। विधायक ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

पूर्व विधायक सोमेश शौकीन को 10 करोड़ की रंगदारी की धमकी आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली की

केरल HC से नहीं मिली राहत, CPI-M कार्यकर्ता मर्डर केस में BJP के 5 सदस्यों की उम्रकैद बरकरार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

केरल हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में साल 2006 में कन्नूर में एक युवा CPI (M) कार्यकर्ता पर बम फेंककर हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 5 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कन्नूर जिले में 2 दलों के बीच राजनीतिक दुश्मनी की वजह से एक शख्स की जान जाने की एक और घटना करार दिया।

अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके जयशंकरन नाबियार और जोबिन सेबेस्टियन की बेंच ने कहा कि 24 साल के याकूब की सिर पर बम फेंककर हत्या, घटना से कुछ दिन पहले BJP के एक कार्यकर्ता पर हुए हमले का बदला था।

2 राजनीतिक दलों की दुश्मनी बेंच ने कहा, 'कन्नूर जिले में 2 राजनीतिक दलों, CPI (M) और BJP प्रदर्शनों के खिलाफ रोक के आदेश जारी किए. दिल्ली पुलिस के वकील के आज दिए गए बयान के मुताबिक, रोक को अपील तक बढ़ा दिया गया है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पूरी तरह से रोक संविधान के आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती है. यह कहा गया कि यह आदेश असंगत है और एकेडमिक बातचीत पर बुरा असर डालता है।

रखा जिसमें प्रकाशन (48), विजेश (43), मनोहरन (31) काव्येश (43) और शंकरन मास्टर (49) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों और मृतक की पार्टी के अन्य साक्षियों के बयानों में कोई अंतर नहीं था, जिन्होंने हमले का सामना किया और पांचों आरोपियों को मुख्य अपराधी बताया था. हाई कोर्ट ने कहा, 'डॉक्टर के सबूतों और उनके द्वारा जारी किए गए पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट को मिलाकर पढ़ने से बेशक यह पता चलता है कि याकूब की मौत हत्या थी और सिर पर लगी चोट बम धमाके की वजह से हुई थी.

FMX में देरी की याचिका ठुकराई साथ ही यह भी कहा कि हत्याकांड के 2 गवाहों को 13 जून, 2006 की रात को BJP कार्यकर्ताओं द्वारा CPI (M) कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले में 'चोटें आई थीं, और हमले के बारे में उनका बयान उनके शरीर पर मिले घावों के नेचर से बहुत मेल खाता है. बेंच ने 2 गवाहों की यह बत भी स्वीकार कर ली कि उन्होंने एक आरोपी को पीड़ित के सिर की ओर से बम फेंकते देखा, जो फट गया जिससे उसकी तुरंत मौत

हो गई। बचाव पक्ष के वकीलों ने सुनवाई के दौरान यह दावा किया था कि गवाहों के बयान एक जैसे नहीं आए गए और उनमें अंतर था, लेकिन बेंच ने इसे खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने सद्बुद्धि करने में देरी की बचाव पक्ष की दलील को भी खारिज कर दिया. दावा किया गया कि पुलिस शुरू में इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग पर लगी थी जिससे इस तरह की दूसरी घटना घटने में आए, और पीड़ित की मौत के करीब 6 घंटे बाद केस दर्ज किया गया. बेंच ने यह भी माना कि भले ही बम फट आरोपी ने फेंका था, लेकिन वे सभी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह काम याकूब को मारने के लिए गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के एक ही मकसद को पूरा करने के लिए किया गया था. आरोपी जिसने देसी बम फेंककर और धमका करके याकूब के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई, उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि इस मामले में हत्या करने का कोई इरादा नहीं था.' बेंच ने पांचों आरोपियों की अपील को उनकी सजा और उम्रकैद की सजा के खिलाफ खारिज कर दिया।

धनबाद में पटना से आ रही बस में खाद्य विभाग ने मारा छापा, 1400 K G नकली पनीर और 90 K G नकली घी बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने पटना से बोकरो जा रही बुंदेला बस से भारी मात्रा में नकली पनीर, घी व आदि जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने गुरुवार तड़के तीन बजे बस स्टैंड पर मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बिहार से आने वाली बुंदेला बस से 1400 किलो नकली पनीर तथा 90 किलो नकली घी बरामद किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहार (पटना) से बोकरो आने वाली बुंदेला नाम की बस, बीआर 21 पी 3632, से 1400 किलो नकली पनीर एवं 90 किलो नकली घी (6 टोन) और अन्य खाद्य सामग्रियां जब्त की।



साथ ही बुंदेला बस के ड्राइवर एवं खलासी और बस को धनबाद थाना को सौंप दिया। इसके अलावा बिहार से आने वाली सभी बसों में सघन जांच अभियान जारी रहा। उन्होंने बताया कि सभी पनीर पटना से धनबाद जिले में लगन के समय एवं त्योहारों के अवसर पर खपाने के लिए

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 41 साल पुरानी एमसी मेहता याचिका बंद, एनसीआर में प्रदूषण की सुनवाई का बदल गया तरीका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। वर्ष 1985 में पर्यावरणविद एमसी मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें एनसीआर में व्याप्त वायु प्रदूषण की समस्या को उजागर किया गया था। दशकों से कोर्ट इसी याचिका के नाम पर कई नए-नए मुद्दों पर सुनवाई कर रहा था। इसी याचिका के तहत आयु पूरी कर चुके वाहनों का मामला, सीएनजी, कोई मुहता बनेना भारत संघ वाली मूल याचिका को कोर्ट ने गुरुवार को निस्तारित करते हुए इसे पुनः नामित (re-captioned) करने का आदेश दिया है।

स्वतः संज्ञान के रूप में किया पुनः नामित

बता दें कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाली याचिका में टैग करके दिल्ली में व्याप्त वायु प्रदूषण सहित कई याचिकाओं को दशकों से सुनवाई की जा रही थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तकरीबन 41 साल पुरानी मूल याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि कार्यवाही को स्वतः संज्ञान के रूप में पुनः नामित किया जाए, जिसका शीर्षक होगा 'एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर पुनर्विचार' (ReN Issues of Air Pollution



in the National Capital Region)।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'इस याचिका में अदालत ने एनसीआर में बह रही जहरीली वायु को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निरंतर परमादेश (mandamus) के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं।' कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा वर्ष 1985 में उठाया गया था, लेकिन 1990 के दशक में इसमें तेजी आई, जिसमें नए मानक लागू किए गए और वाहनों की आयु सीमा तय करने तथा अन्य कई जरूरी उपाय किए गए।

मूल रिट याचिका क्यों की गई पुनः नामित?

निर्देश में आगे कहा गया कि अधिकांश मामलों में समय-समय पर अदालत द्वारा रहीं जहरीली वायु को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निरंतर परमादेश (mandamus) के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं।' कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा वर्ष 1985 में उठाया गया था, लेकिन 1990 के दशक में इसमें तेजी आई, जिसमें नए मानक लागू किए गए और वाहनों की आयु सीमा तय करने तथा अन्य कई जरूरी उपाय किए गए।

को उचित रूप से पुनः नामित किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विद्वान एमिकस क्यूरी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम औपचारिक रूप से डब्ल्यूपी (सिविल) 1985 का निपटारा करते हैं। उन प्रस्तावों का अतिरिक्त सॉलिडिटर जनरल (एसएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने भी समर्थन किया है।

रजिस्ट्री को दिया गया आदेश

पीठ के आदेशानुसार, अब रजिस्ट्री द्वारा उस मामले में कोई आईए (इंटरलॉक्यूट्री एप्लीकेशन) या एमए (मिसलेनियस एप्लीकेशन) दर्ज नहीं की जाएगी। इसी के साथ पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि स्वतः संज्ञान (suo motu) कार्यवाही किए गए। पक्षकारों की सुनवाई के बाद अब यह उचित समय है कि 1985 की मूल रिट याचिका से उत्पन्न कार्यवाही का निस्तारण किया जाए. यह सुझाव दिया गया कि 1985 में सामने लाया गया यह मुद्दा हाल का नहीं है, इसलिए याचिका

संक्षिप्त खबरें

मुस्लिम युवती ने हिन्दू रीति से मंदिर में रवाई शादी

अग्नि को साक्षी मानकर प्रेमी जोड़े बने पतिपत्नी



लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र में प्रेम विवाह का एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी हिन्दू युवक से शादी कर ली। विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से मंदिर में संपन्न हुआ। शादी के बाद युवती ने हिन्दू धर्म अपनाते हुए अपना नाम भी बदल लिया। कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव की रहने वाली आईमन अहमद का गांव के ही युवक शिवम के साथ करीब पांच वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को विवाह का रूप देने का निर्णय लिया। परिवार और समाज की आशंकाओं के बीच दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ऐहार स्थित बालेश्वर मंदिर पहुंचे। जहां विधि-विधान से हिन्दू परंपरा के अनुसार विवाह कराया गया। मंदिर में पुरोहित की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लिए। अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली। विवाह के बाद आईमन ने हिन्दू धर्म अपनाते हुए अपना नया नाम कृतिका रख लिया। शादी के बाद नवविवाहित दंपति शिवम और कृतिका ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता आपसी विश्वास और प्रेम पर आधारित है। दोनों ने साथ मिलकर जीवन बिताने का निर्णय लिया है।

बाइक-साइकिल की टक्कर में बुजुर्ग किसान समेत दो घायल

लालगंज (रायबरेली)। उनाव हाईवे पर बुधवार को बाइक और साइकिल की आमने सामने टक्कर में बुजुर्ग किसान समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शीतलाबाइक खेड़ा गांव निवासी बुजुर्ग किसान श्री अवतार साइकिल से घर लौट रहे थे। तभी मदुरी गांव निवासी बाइक सवार राजकिशोर कुशवाहा ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार राज किशोर हेल्मेट नहीं पहना था।

लखनऊ- हरदोई रोड पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत, सहेली की हालत नाजुक



लखनऊ-हरदोई रोड पर स्कूटी सवार युवती की मौत।

विपरीत दिशा में जा रही स्कूटी को अज्ञात बाइक ने टक्कर मारी।

मलिहाबाद। माल के अहमदपुर गांव निवासी 34 वर्षीय स्कूटी सवार युवती की मंगलवार रात रहींमाबाद स्थित हरदोई-लखनऊ रोड पर सड़क हादसे में मौत हो गई। साथ बेटी उनकी सहेली को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, अहमदपुर निवासी 34 वर्षीय यारल अपनी सहेली सावित्री के साथ हरदोई के संडीला में नमकीन फैक्ट्री में नौकरी करती थीं। मंगलवार देर रात वह संडीला से सहेली को लेकर रहींमाबाद के सेरनगर जा रही थीं। वह लखनऊ-हरदोई रोड पर विपरीत दिशा में स्कूटी चला रही थीं। हाइवे ढाबा के पास एक तेज रफतार अज्ञात बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सहेलियां छिटककर सड़क पर जा गिरीं। घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने पारल को मृत घोषित कर दिया। सावित्री की हालत नाजुक है। इस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुनाकर ने बताया कि सीसी फुटेज की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है। परिवार ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है।

रोड निर्माण में अनियमितताओं की भरमार ठेकेदार पर लगे गंभीर आरोप

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजना में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कृष्णा कॉलोनी कल्याण समिति ने एक शिकायती पत्र जारी किया है। जिसमें कॉलोनी के निवासियों ने ठेकेदार पर मानकों की अनदेखी करने और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। इस मुद्दे ने स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है, क्योंकि इससे कॉलोनी के सैकड़ों निवासियों की दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। कृष्णा कॉलोनी, जो आईआईएम रोड, रायपुर इलाके में स्थित है, लखनऊ के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है। यहां एलडीए द्वारा अविनाश सिंह के मकान से मुनेंद्र सिंह के मकान तक सीसी (कंक्रीट) रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। यह परियोजना कॉलोनी की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन अब इसमें गंभीर खामियां सामने आ रही हैं।

कल्याण समिति के अध्यक्ष पी.के. राय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ठेकेदार नक्शे के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। पत्र के अनुसार, जल निकासी की नालियां गलत दिशा में बनाई जा रही हैं, जिससे बरसात के मौसम में कॉलोनी के घरों में पानी भरने की संभावना बढ़ गई है। इससे न केवल संपत्ति को

चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन



स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर। चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ हुआ जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. योगेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। प्रथम दिन इकाईयों के संयोजकों द्वारा छत्र-छत्राओं को सेवा योजना के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। पिडीलाइट कंपनी की संयोजिका राखी निगम द्वारा छत्र-छत्राओं को आर्ट एंड क्राफ्ट पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम दिन सेवा योजना इकाईयों द्वारा गोद लिए गए गांवों में वृक्षारोपण किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत एवं

नो स्मोकिंग डे के अवसर पर गोष्ठी एवं हस्ताक्षर अभियान संयोजन

स्वतंत्र प्रभात

रायबरेली:- मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 नवीन चंद्रा के निर्देशन में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 'नो स्मोकिंग डे' के अवसर पर गोष्ठी एवं हस्ताक्षर अभियान, का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली में किया गया। कार्यशाला में प्रतिभागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डा0 अरुण कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा जनपद में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। कार्यशाला में कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू धूम्रपान निषेध परिसर के बारे में बताया गया।

पूनम यादव, जिला परामर्शदाता, तम्बाकू

मऊ गांव में फाग के सुरों के साथ गूंजा होली मिलन समारोह: 'शिवाय सेवा समिति' ने सहेजी 14 वर्षों की गौरवशाली परंपरा



●पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर थिरके ग्रामीण, फाग महोत्सव में लोक संस्कृति और आपसी भाईचारे का अनूठा संगम।

स्वतंत्र प्रभात

विनीत कुमार मिश्रा (जिला संवाददाता) लखनऊ (मोहनलालगंज): राजधानी के मोहनलालगंज तहसील स्थित मऊ गांव में मंगलवार को भक्ति, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत मेल देखने को मिला। 14 वें वार्षिक फाग महोत्सव का आयोजन रंजीत यादव उर्फ गुड्डू की अगुवाई में होली मिलन समारोह ने पूरी ग्राम सभा को फागुन के रंगों से सराबोर कर दिया। पिछले 14 वर्षों से निरंतर चली आ रही इस धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ने इस बार भी अपनी भव्यता से क्षेत्रीय लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण कलाकारों ने पारंपरिक लोक विधाओं के

नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो सड़क की गुणवत्ता और स्थायित्व पर सवाल खड़े करता है।

पत्र में लिखा गया है, 'उक्त कार्य में नाली खोदने की जल निकासी की दिशा विपरीत दिशा में बनाई जा रही है, जिसकी वजह से कॉलोनी वासियों के घरों में पानी भरने की संभावना है। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है।' समिति ने एलडीए के निदेशक से अनुरोध किया है कि वे स्वयं या तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के माध्यम से जांच कराएं और मानकों के अनुसार कार्य पूरा करवाएं।

इस शिकायत के पीछे कॉलोनी के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, आईआईएम रोड क्षेत्र में विकास कार्यों में सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन अब इसमें गंभीर खामियां सामने आ रही हैं।

अगर जल निकासी सही नहीं हुई, तो मानसून में पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। 'कृष्णा कॉलोनी कल्याण समिति एक



पंजीकृत संगठन है, और यह कॉलोनी के कल्याण और विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करती है। एलडीए के अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क करने पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली, यह घटना लखनऊ में विकास की है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अब यह रोड बनने से पहले ही समस्या पैदा कर रहा है।

एसे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। एक 'जल निकासी की दिशा गलत होना एक बड़ी

लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं 30 और 31 मार्च को

लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी (नियमित) के लिए बुधवार को अनुसंधान प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि घोषित कर दी। प्रवेश परीक्षा 30 और 31 मार्च को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर युक्तुल श्रीवास्तव ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी ने दो या अधिक विषयों में आवेदन किया है और उनकी परीक्षाएं एक ही दिन व सत्र में निर्धारित हैं, तो वे 16 मार्च तक ईमेल luadmissionswz@gmail.com के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे इस संभावित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करें और किसी भी अद्यतन सूचना के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एवं ईमेल संचार पर ध्यान दें। गौतमलब है कि विश्वविद्यालय ने पीएचडी में प्रवेश के लिए आठ मार्च तक आवेदन का मौका दिया था।



कार्यशाला में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके स्वयं के परिसर को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाये रखने के साथ-साथ मरीजों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 अरविन्द कुमार, डॉ0 राकेश कुमार, डॉ0 अम्बिका प्रसाद, जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी डॉ0एस0 अस्थाना, डॉ0पी0एम0 राकेश कुमार सहित कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।



लापरवाही है। इससे न केवल बाढ़ का खतरा बढ़ता है, बल्कि सड़क की उम्र भी कम हो जाती है। एलडीए को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। कॉलोनी के निवासी अब इस शिकायत के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यदि जांच में देरी हुई, तो समिति आगे की कार्रवाई, जैसे धरना या कोर्ट जाने पर विचार कर सकती है। यह घटना लखनऊ के अन्य कॉलोनीयों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां विकास कार्यों में निवासियों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।

रसोई गैस की किल्लत, एर्जेसियों पर लगी लंबी कतारें

● बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, उपभोक्ता परेशान; होटल-ढाबा कारोबार भी प्रभावित

स्वतंत्र प्रभात

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे और आसपास के गांवों में रसोई गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। गैस एर्जेसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। बुधवार को बाईपास स्थित एक गैस एर्जेसी पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। यहां गैस बुकिंग और सिलेंडर वितरण को लेकर अफरा-तफरी का माहौल देखने को

चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में मनाई गई चंद्रभानु गुप्त की 46वीं पुण्यतिथि



स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और जननायक चंद्रभानु गुप्त जी की 46 वीं पुण्यतिथि पर चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेंद्र कुमार सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। डॉ योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 1995 में श्रेष्ठेय बाबू भगवती सिंह ने चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसमें लगभग 100 से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी पूरे महाविद्यालय में कार्यरत हैं एवं लगभग 1700 से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया ने बताया कि महाविद्यालय में बीएससी (ऑनर्स) कृषि एमएससी (कृषि)बीकॉम तथा बी बी ए की शिक्षा दी जाती है महाविद्यालय में उत्तर

प्रदेशसहित अन्य प्रदेशों के छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चंद्रभानु गुप्त जी उन विरले नेताओं में थे जिन्होंने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का साधन माना। उनका सादगीपूर्ण जीवन, दृढ़ इच्छाशक्ति और गरीब-वंचित वर्ग के उत्थान के प्रति समर्पण उन्हें एक आदर्श जननेता के रूप में स्थापित करता है। उत्तर प्रदेश के विकास, शिक्षा के विस्तार और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे। उनकी पुण्यतिथि पर महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ सुधीर कुमार रघुवंशी एवं धनेंद्र कुमार सिंह सहित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों कर्मचारियों ने गुप्ता जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।



मिला। लोगों का कहना है कि एक सप्ताह पहले कराई गई बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। पूरे गुदुदी मंजरे पौशला मोहल्ला निवासी उपभोक्ता राजू ने बताया कि कई दिन पहले गैस बुकिंग कराई थी, लेकिन अब तक सिलेंडर की छिल्ली नहीं हुई। इससे घर की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गैस की कमी का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। कामर्सियल सिलेंडर नहीं मिलने

से ढाबा और होटल संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग मजबूरी में कोयले की भट्टी से काम चला रहे हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े राम सिंह चौहान ने बताया कि हाल ही में गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं और अब आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। इससे कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है।

राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने की जनसुनवाई, कई मामलों का मौके पर निस्तारण

● निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर

स्वतंत्र प्रभात

गोण्डा। उ.प्र. राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही का बुधवार को जनपद में आमन स हुआ। उन्होंने सफिकंद हाउस में महिला संबंधी जनसुनवाई की और पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान कुल 17 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 09 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि शेष 08 प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को

को दिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता है।

इसके बाद गांधी पार्क स्थित टाउनहॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम के उपरंत ऋतु शाही ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, दर्जीकुंडी-आ की निरीक्षण किया। निरीक्षण के

दौरान विद्यालय की खिड़की का शीशा टूट हुआ पाया गया, जिस पर उन्होंने तत्काल उसे ठीक कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय उपाध्याय, महिला थाना प्रभारी अनीता यादव, संरक्षण अधिकारी चन्द्रमोहन वर्मा, सेंटर मैनेजर चेतना सिंह, प्रियंका सिंह, सिद्धनाथ पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कचरे से रोजगार का 'रामपुर मॉडल', खराब एंबुलेंस बनीं मोबाइल शॉप; रेहड़ी-पटरी संचालकों की बदली दुनिया

● पुरानी एंबुलेंस को मोबाइल दुकानों में बदला गया।

गरीब रेहड़ी-पटरी संचालकों को मिला स्थायी रोजगार।

रामपुर में 'जीरो वेस्ट' और 'वेस्ट टू वेल्थ' मॉडल।

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में नवाचार और विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से संसाधन) के विजन को मिशन मोड में अपनाते हुए रामपुर जिला प्रशासन ने एक बेहद अनूठी और सराहनीय पहल शुरू की है। जिले में 'जीरो वेस्ट मॉडल' को धरातल पर उतारते हुए प्रशासन ने कबाड़ हो चुकी और निष्क्रिय एंबुलेंस को नया जीवन दिया है। इन अनुपयोगी वाहनों को आधुनिक मोबाइल दुकानों (वैनशॉप) में बदलकर गरीब रेहड़ी-पटरी संचालकों को रोजगार के लिए सौंपा गया है, जो प्रदेश में अपनी तरह का पहला मॉडल बनकर उभर रहा है।

कचरे को बनाया संसाधन, एंबुलेंस बनी वैनशॉप
रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी



के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कचरा प्रबंधन को लेकर अत्यंत गंभीर हैं और उनका संदेश है कि कचरे को समस्या नहीं, बल्कि अवसर समझा जाए। इसी क्रम में प्रशासन ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में वर्षों से धूल फांक रही 8 पुरानी और निष्क्रिय एंबुलेंस को चिन्हित किया। 'जीरो वेस्ट' पहल के तहत इन निष्प्रयोज्य वाहनों को कबाड़ में बेचने के बजाय मॉडिफाई कर आकर्षक मोबाइल वैनशॉप का रूप दिया गया है। इन वैनों को अब रेहड़ी-पटरी संचालकों को आवंटित कर उन्हें स्थायी आजीविका का साधन उपलब्ध कराया गया है।

जाम से मुक्ति और सुव्यवस्थित वेंडिंग जॉन

नगर क्षेत्र में लंबे समय से बेतरतीब ठेकेतों और अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता था, जिससे छोटे कारोबारियों को भी बार-बार हटाने जाने के डर से रोजगार का संकट रहता था। इन समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए फोरटो चूंगी के समीप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत एक अत्याधुनिक वेंडिंग जॉन विकसित किया गया है। यहाँ इन मॉडिफाई की गई 8 वैनशॉप को स्थापित किया गया है, जिससे न केवल

यातायात व्यवस्था सुधरी है, बल्कि रेहड़ी-पटरी संचालकों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक व्यावसायिक स्थान प्राप्त हुआ है। एक ही छत के नीचे मिनी बाजार का अनुभव

इस वेंडिंग जॉन के विकसित होने से आम जनता को भी बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। अब स्थानीय लोगों को कपड़े, खाने-पीने की वस्तुएं, फास्ट फूड और बच्चों के खिलौने जैसे दैनिक उपयोग के सामान को खरीदने में भी स्थान पर मिलेगा। जिलाधिकारी ने स्वयं इन दुकानों का निरीक्षण कर विक्रेताओं का उत्साहवर्धन किया। प्रशासन की योजना है कि शहर के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के वेंडिंग जॉन विकसित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को सशक्त बनाया जा सके और रामपुर को एक सुव्यवस्थित डिजिटल और आधुनिक शहर के रूप में निखारा जा सके।

संक्षिप्त खबरें

इतिहास राष्ट्र की सामूहिक



स्मृति है, इसे प्रमाणों तथा शोध के आधार पर समझना जरूरी- प्रोफेसर इंद्र भूषण द्विवेदी

इतिहास विज्ञान आधारित गोष्ठी संपन्न

मिरजापुर। भारतीय इतिहास संकलन समिति की जिला इकाई के तत्वावधान में जीडी बिनानी पीजी कॉलेज में बुधवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने और साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लेखन की आवश्यकता पर मंचन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर विषय पर अपने विचार रखे। गोष्ठी का विषय इतिहास विज्ञान आधारित अत्याधुनिक दृष्टि रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समिति के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर इंद्र भूषण द्विवेदी ने कहा कि इतिहास राष्ट्र की सामूहिक स्मृति है और इसे प्रमाणों तथा शोध के आधार पर समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि इतिहास को साक्ष्यों की कसौटी पर नहीं परखा गया तो आने वाली पीढ़ियों को वास्तविक ऐतिहासिक दृष्टि नहीं मिल सकेगी। भारतीय इतिहास संकलन समिति का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों का संकलन कर उन्हें शोध के लिए उपलब्ध करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जीडी बिनानी पीजी कॉलेज के प्राचार्य एवं काशी प्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक सिंह ने कहा कि इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि प्रमाणों पर आधारित ज्ञान की विधा है। इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेखीय दस्तावेज, शिलालेख, साहित्यिक स्रोत और वैज्ञानिक अनुसंधान



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन स्रोतों के समन्वित अध्ययन से ही किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक चेतना को सही दिशा मिलती है। ऐतिहासिक की प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर अनुराधा सिंह ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। इतिहास के अध्ययन को केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। समाज, संस्कृति, लोकजीवन और ज्ञान परंपरा भी इतिहास की महत्वपूर्ण धारा हैं। उन्होंने नई पीढ़ी में इतिहास के प्रति जिज्ञासा और शोध की भावना विकसित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ शशिधर शुक्ला ने किया। इस अवसर पर डॉ ध्रुव जी पांडे, डॉ नृपचंद्र कुमार और श्याम मोहन उपाध्याय, प्रो राजेश पाण्डेय ने भी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद रहे। इतिहास के क्षेत्र में शोध, दस्तावेजीकरण और स्थानीय ऐतिहासिक स्रोतों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट में खाना बनाने की मुश्किल, LPG गैस की कमी से कैटीन ने मेन कोर्स बंद

नई दिल्ली। ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के युद्ध के कारण एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी का असर दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों की कैटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर न होने की वजह से कुछ समय के लिए मेन कोर्स का खाना देना बंद कर दिया है। कैटीन प्रबंधन की तरफ से जारी एक नोटिस में बताया गया कि एलपीजी की कमी की वजह से खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। कैटीन प्रबंधन ने यह भी कहा कि गैस आपूर्ति दोबारा कब शुरू होगी, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जैसे ही गैस आपूर्ति उपलब्ध होगी, खाना बनाना फिर से शुरू कर देंगे। हालांकि, अन्य रेडिमेड खाने-पीने चीजें उपलब्ध हैं।

पहले भी हो चुके थे डिपोर्ट, फिर दिल्ली में पकड़े गए दो बांग्लादेशी नागरिक; दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

● जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मोबाइल में प्रतिबन्धित ऐप और छह बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भूल्लर

नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की फॉरन सेल ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि दोनों को पहले भी भारत से डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद वे दोबारा अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार 9 मार्च 2026 को फॉरन सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास सक्रिय हैं और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और लगातार सर्विलांस के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने शुरूआत में खुद को भारतीय नागरिक बताया, लेकिन उनके जवाबों में विरोधाभास और संदिग्ध व्यवहार के कारण पुलिस को उन पर शक हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने उनके दस्तावेजों की जांच की, डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण किया और फोटो साक्ष्यों की पड़ताल की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों व्यक्ति बांग्लादेश

के नागरिक हैं और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों को पिछले वर्ष उत्तराखंड से अवैध रूप से भारत में रहने के कारण डिपोर्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वे दोबारा सीमा पार कर भारत आ गए और दिल्ली में अवैध गतिविधियों में शामिल हो गए।

दरअसल, हाल ही में फॉरन सेल ने तीन बांग्लादेशी महिलाओं को भी डिपोर्ट किया था, जो मानव तस्करी और देह व्यापार से था, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। उन बरामदगी से यह भी पुष्टि हुई कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और यहां गलत गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए एफआरआरओ के सामने पेश किया गया, जहां से उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय दिवो कुमार पाल उर्फ विकास और 27 वर्षीय रुमा बेगम के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के ढाका जिले के निवासी बताए गए हैं।

यह टीम इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में और एसीपी राजीव कुमार की

निगरानी में काम कर रही थी। टीम ने इलाके में रिंटिंग ऑपरेशन भी किया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने संदिग्धों से अवैध गतिविधियों के लिए संपर्क किया। जैसे ही संदिग्धों ने सहमत जताई, पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से दो स्मार्टफोन बरामद हुए, जिनमें प्रतिबंधित ट्विक्क एप इंस्टॉल था। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की गैलरी से छह बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र भी मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। इन बरामदगी से यह भी पुष्टि हुई कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और यहां गलत गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए एफआरआरओ के सामने पेश किया गया, जहां से उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय दिवो कुमार पाल उर्फ विकास और 27 वर्षीय रुमा बेगम के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के ढाका जिले के निवासी बताए गए हैं।

छत्रवृत्ति और टैबलेट की मांग को लेकर बलिया में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। जिले में छत्रवृत्ति और टैबलेट की मांग को लेकर बुधवार को हजारों छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और छात्राओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को छत्रवृत्ति के भरे हुए फॉर्म की हाई कॉपी सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्वोच्च छात्र संघर्ष समिति के संयोजक नोगेंद्र बहादुर सिंह 'झुनू' ने कहा कि बलिया में पिछले दो-तीन वर्षों से छात्र-छात्राओं को छत्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि छत्रवृत्ति आती भी है तो केवल करीब 10 प्रतिशत छात्रों को ही इसका लाभ मिलता है, जबकि 90 प्रतिशत छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार छत्रवृत्ति के लिए बजट पास करती है, तो हर पात्र छात्र को इसका पूरा लाभ



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिलना चाहिए। छात्र नेताओं ने सरकार द्वारा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि सरकार ने यह वादा किया है तो उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि छात्रों को पढ़ाई में सुविधा मिल सके। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बलिया नगर विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भी अपील की कि वे जिले के सभी छात्र-छात्राओं को छत्रवृत्ति दिलाने के लिए पहल करें। छात्र नेता अविनाश सिंह नंदन ने कहा कि उनकी दो प्रमुख मांगें हैं- पहली, सभी पात्र छात्रों के खातों में पूरी छत्रवृत्ति भेजी जाए और दूसरी, सरकार द्वारा घोषित मोबाइल फोन या टैबलेट छात्रों को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब छात्र आंदोलन को और तेज करेंगे और अगला कदम 'छत्र कर्फ्यू' हो सकता है।

जल जीवन मिशन के तहत 1.90 करोड़ से बनी टंकी से ग्रामीणों को मिलने लगा स्वच्छ जल

● जल जीवन मिशन के तहत 1.90 करोड़ से बनी टंकी से ग्रामीणों को मिलने लगा स्वच्छ जल

गौखी सराय में हुआ जल अर्पण कार्यक्रम स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भूल्लर

अयोध्या। जिले के बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत भीखी सराय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पानी की टंकी से अब ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिलना शुरू हो गया है। इस अवसर पर गांव में जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव में करीब एक करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है। इस योजना के तहत अब तक 321 ग्रामीणों को घर-घर पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा मिलने लगी है। इससे ग्रामीणों



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

को पानी के लिए दूर-दूर तक भटकने की समस्या से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। उनके अनुपस्थित रहने पर ग्राम प्रधान ने फीता काटकर जल अर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ग्रामीणों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद गिरिना सिंह ने ग्रामीणों को जल संरक्षण की शायशं दिलवाई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कई बार लोग नल खुला छोड़ देते हैं जिससे

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 मार्च को, क्या है नया समय और स्थान?



राष्ट्रीय लोक अदालत

नई दिल्ली। राजधानी में 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत को टाल दिया गया है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएसएलएसए) ने 22 मार्च की नई तारीख तय की है। डीएसएलएसए के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 14 मार्च को हाई कोर्ट के तहत आने वाली सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग डे घोषित किया है। इसलिए, डीएसएलएसए के एग्जीक्यूटिव चैयरमैन जस्टिस वी. कामेश्वर राव के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत को रीशेड्यूल करने का फैसला किया गया। नेशनल लोक अदालत अब 22 मार्च को तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राजज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी। इसमें तलाक के मामलों को छोड़कर, सिविल और क्रिमिनल मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

नौकरी की तलाश अब खत्म-स्टूडेंट्स और जॉब ढूंढने वालों के लिए कम्पनियों के साथ

● सीधे इन्टरव्यू और जॉब के बेहतरीन अवसर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बस्ती एवं किसान डिग्री कालेज बस्ती के तत्वावधान में दिनांक- 18 मार्च

2026 दिन बुधवार को प्रातः 09 बजे से स्थान- शिव हर्ष किसान पी0जी0 कालेज बस्ती में निःशुल्क एकदिवसीय वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेला में देश की जानी-मानी 20 से भी अधिक प्रतिष्ठित कम्पनियां साथ ही स्थानीय नियोजक भी साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्ती करने हेतु आयेगीं। आने वाली कंपनियों में प्रमुख रूप से टाटा मोटर्स लखनऊ, श्रीराम पिस्टन एवं रिंगस नोएडा, गाजियाबाद, बर्धमान टेक्सटाइल्स पंजाब, भारत शीट लिमिटेड गुजरात, नील मेटल हरियाणा, जे0बी0एम कम्पनी गुजरात, जमाटो गुडगांव, एल.एन.टी. डस्की स्टालिन आदि कम्पनियां आईटीआई डिप्लोमा वॉटेक वालों के लिए टेक्निकल/मशीन ऑपरटर/फ्रेसर पदों पर नॉन टेक्निकल के लिए- 8 से 10 व 12



पास पर भर्ती करेंगीं। वही आई0डी0बी0आई, एच.डी.एफ.सी, एस.बी. आई.लाइफ इन्सुरेंस, एयू स्माल फाइनेंस, एल0आई0सी, आदि कम्पनियां बैंकिंग क्षेत्र में स्नातक व परास्नातको के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती करने हेतु आयेगीं।

बस्ती रोडवेज डिपो के भर्ती अधिकारीगण सविदा चालक के 50 पदों पर हैवी लाइसेंस के साथ दो वर्ष का अनुभव काम से काम 8 पास आहर्ता वालों के लिए भर्ती करेंगीं। पैराग्रीन प्रा0लि0 सिक्योरिटी गार्ड के लिए तथा अमेजोन, डिलिवरी व्याय के हेतु जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस (डी एल) होना चाहिए के लिए भर्ती करने हेतु आयेगीं। इस तरह कुल 5000 रिक्त पदों के साथ विभिन्न कंपनीय प्रतिभाग करेंगीं। वेतनमान 6000.00 से

22000.00 तक रहेगा। इस रोजगार मेला में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 वी पास, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट स्नातक, आई0टी0आई0, डिप्लोमा कंप्यूटर दक्षता व अन्य तकनीकी गैर तकनीकी योग्यता धारक हो सकते हैं। इस रोजगार मेला में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी बायोडेटा व एक फोटो के साथ तिथि 18 मार्च 2026 दिन बुधवार समय सुबह-9 बजे से आयोजन स्थल-शिव हर्ष किसान पी0जी0 कालेज-बस्ती में निःशुल्क प्रतिभाग कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बस्ती (कटरा मुड़घाट रोड) पर किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं। यह जानकारीजिला सेवायोजन अधिकारीबस्ती ने दिया।

राजधानी की सड़कों पर दौड़े पिंग क्लिब्स महिला दिवस पर फिटनेस और सशक्तिकरण का संदेश

● मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से निकली 'पिंग साइक्लोथॉन' रैली में 1000 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी, महिलाओं के स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली को मिला बढ़ावा।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लेजर स्किल्स काउंसिल (SPEFL-SC) ने फिट इंडिया मूवमेंट के सहयोग से 'संडेज ऑन साइकिल' के एक विशेष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम रविवार, 8 मार्च 2026 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। 'पिंग साइक्लोथॉन' पहल के इस तीसरे संस्करण में महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए समाज के एक खास वर्ग को आगे लाने का फैसला किया गया।



से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य पूरे शहर में फिटनेस और सक्रिय जीवन को बढ़ावा देना था। इस साइक्लोथॉन में सभी आयु वर्ग और लिंग के 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में प्रमुख फिटनेस इन्सुएर्संस और उन प्रसिद्ध महिला एथलीटों को सम्मानित किया गया जिन्होंने भारतीय खेलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों और खेल दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें श्री मयंक श्रीवास्तव उप महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण - खेलो इंडिया डिवाजन, सुश्री मंजुश्री दयानंद उपा महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण), श्री तहसीन जाहिद मुख्य कार्यकारी अधिकारी - SPEFL-SC, सुश्री एथलीटिक्स चैंपियनशिप में हेटाथलॉन स्वर्ण पदक विजेता, बहादुरदुडा आशालता देवी (भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और रस्सी कूद जैसी गतिविधियों में भाग लिया। इस आयोजन की मुख्य साइकिल रैली को सुबह 7:45 बजे आधिकारिक रूप से नरतल पदक विजेता

तलवारबाज शामिल थे। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कई इन्सुएर्संस को भी सम्मानित किया गया, जिनमें डॉ. रीरी त्रिवेदी मानसिक स्वास्थ्य फिटनेस, सुश्री निधि निगम (पोषण), और टेलीविजन जगत की हस्तियां श्री तरुण खन्ना और सुश्री ऐश्वर्या राय शामिल थीं। साइक्लोथॉन के दौरान, 5 भाग्यशाली विजेताओं ने नई साइकिलें भी जीतीं। स्किल इंडिया, SPEFL-SC, NSDC और FICCI द्वारा समर्थित यह पहल, पिंग साइक्लोथॉन के उन व्यापक उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जिनका लक्ष्य प्रिवेंटिव हेल्थ (निवारक स्वास्थ्य) और महिला कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राइड के बाद, गणमान्य व्यक्तियों ने मीडिया के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने देश भर में महिलाओं की दिनचर्या में खेल और फिटनेस को शामिल करने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। 'इस सफल कार्यक्रम के आयोजन में वेदांता का विशेष सहयोग रहा, जिसके कारण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सका।

दिल्ली विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

● शासन की असली परीक्षा बहस में नहीं, बल्कि ऐसी नीतियों में है जो आम नागरिक के जीवन में वास्तविक सुधार लाएँ श्री विजेन्द्र गुप्ता

● एसआरसीसी के पूर्व छात्र एवं दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 'माइन्ड्यूवकर 14.0' में मुख्य भाषण दिया

● सार्वजनिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि ऐसी नीतियों बनाना जो लोगों की सेवा करें विधानसभा अध्यक्ष

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली, बौद्धिक ईमानदारी और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का सशक्त संदेश देते हुए अपने पुराने शिक्षण संस्थान (अल्मा मेटर) में लौटे दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'माइन्ड्यूवकर 14.0' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। छात्रों, प्राध्यापकों और युवा नेतृत्वकर्ताओं की एक उल्हासपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा किया तथा नेतृत्व, सुशासन, राष्ट्र-निर्माण और सार्वजनिक नीति के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने

विचारोत्तेजक मुख्य भाषण में श्री गुप्ता ने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र का सार केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सार्थक और प्रभावी नीति-क्रियान्वयन तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न मत और असहमति स्वाभाविक हैं, किंतु शासन की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जाती है कि कानून और नीतियाँ आम नागरिक के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि यह जिम्मेदारी विधायी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभाएँ और संसद ऐसे मंच हैं जहाँ सार्वजनिक मुद्दों पर गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ विचार-विमर्श किया जाता है तथा समाज के हित में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, 'एक विकसित भारत की पहचान उन संस्थानों से होती है जो ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हैं, तथा उन कानूनों से जो प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हैं। एसआरसीसी की के मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'माइन्ड्यूवकर 14.0' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। छात्रों, प्राध्यापकों और युवा नेतृत्वकर्ताओं की एक उल्हासपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा किया तथा नेतृत्व, सुशासन, राष्ट्र-निर्माण और सार्वजनिक नीति के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने



सार्वजनिक नीतियाँ अधिक संतुलित और स्थायी बनती हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा, 'आपके विचार बौद्धिक ईमानदारी, नैतिक मूल्यों और व्यापक जनहित के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित होने चाहिए।' भारत के आर्थिक और प्रशासनिक भविष्य के निर्माता के रूप में छात्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी आज के युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने एसआरसीसी के प्रतिभाशाली और विचारशील छात्रों, भविष्य के अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और उद्यमियों को अपनी पेशेवर भूमिकाओं को सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया और अपने संबोधन के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि युवाओं के विचार और प्रयास व्यापक राष्ट्रीय हित और समाज की सेवा के उद्देश्य से प्रेरित होंगे, तो एक ऐसे विकसित भारत का सपना साकार होगा जहाँ शासन उद्देश्यपूर्ण हो और कानून वास्तव में जनता की सेवा करें।

स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अखबार, पत्रिका एवं ऑनलाइन चैनल में काम करने हेतु अनुभवी लोगों की आवश्यकता है।

जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरोचीफ, संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति स्वयंसेवक करें।

अपना बायोडेटा भेजे : 9511151254

www.swatantraprabhat.com www.epaper.swatantraprabhat.com